भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं.2013/टीजी-I/12/12/डीडीक्यू **नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2016**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 64)

विषयः क्षेत्रीय रेलों को रक्षा विभाग का कोटा निर्धारित करने/बढ़ाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

******

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 05.03.2015 के समसंख्यक पत्र (2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 12) का अवलोकन करें जिसमें क्षेत्रीय रेलों को रक्षा विभाग के कोटे को उपयोग के आधार पर निर्धारित करने/समीक्षा करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2. इस संबंध में रक्षा विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3 के मद्देनज़र रक्षा विभाग कोटा को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है जिसके कारण सैनिकों का ड्यूटी, तैनाती और छुट्टी पर तत्काल यात्रा करना प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सेना के कार्मिक सप्ताहान्त में छुट्टी लेते हैं ताकि वे रविवार को छुट्टी से पहले जोड़ने की सुविधा का लाभ उठा सकें। अत: सप्ताहान्त में गाड़ी की सीट की मांग ज्यादा होती है और सप्ताह के अन्य दिनों में सीटों का उपयोग न होने के आधार पर कोटा समाप्त करना अनुचित है। अत: यह अनुरोध किया गया है कि उन गाड़ियों में जहां बड़ी संख्या में सैनिक प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं, रक्षा विभाग के कोटे के सीटों का आबंटन, सप्ताह के अन्य दिनों के बजाय सप्ताहान्त में उपयोग के पैटर्न पर किया जाए।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि मांग के पैटर्न के आधार पर क्षेत्रीय रेलें सप्ताह के अन्य दिनों तथा सप्ताहान्त के लिए अलग-अलग रक्षा विभाग का कोटा आबंटित कर सकते हैं। बहरहाल रक्षा विभाग के निर्धारित कोटे की ऊपर उल्लिखित दिनांक 05.03.2015 के अनुदेशों (2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.12) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए और जहां-कहीं अपेक्षित हो एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए।

4. इस संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विक्रम सिंह)
निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

-2/-

AJ OFFCIAL-DELEGATION OF POWER

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1) सीसीएमएस, सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का. नि. सतर्कता (टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. पीपीएस/एफसी, का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226001।.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जेएल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) एमडी, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई-400614

******

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
****

No. 2013/TG-I/12/2/DDQ New Delhi, dated 30.11.2016

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 64 of 2016)

Sub: Delegation of power to earmark/enhance Defence Department Quota to Zonal Railways.

......

Please refer to this office letter of even number dated 05.03.2015 (Commercial Circular No.12 of 2015) on the subject quoted above wherein powers for earmarking/reviewing Defence Department Quota were delegated to Zonal Railways based on utilisation.

2. In this connection a reference has been received from Defence Department wherein has been stated that in view of para 3 of the Circular referred to above the Defence Quota is steadily being withdrawn which is affecting the emergent travel of troops on duty, posting and leave. Further it has been stated that army personnel avail leave on weekends, as a norm to avail facility for prefixing of Sunday. As such the demand for train seats is high on weekends and withdrawal of quota based on non-usage of seats on week days is inappropriate. As such it has been requested that seats for Defence Department Quota may be allotted based on usage pattern on weekdays vis-a-vis weekends and on trains where large number of soldiers are waitlisted.

3. The matter has been reviewed and it has been decided that based on demand pattern Zonal Railways can also allot variable DDQ on weekdays and weekends. The DDQ earmarked should, however, be reviewed as per guidelines stipulated in instructions dated 05.03.2015 (Commercial Circular No. 12 of 2015) referred to above and adjustments made, wherever required.

4. Necessary instructions in this regard may be issued to all concerned.

30/11/16

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.

-2/-

3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan,33/1,J.L.Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

*****